सं0 377 /IV(2)-श0वि0–11–05(सा0)/10

(22)

प्रेषक,

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक–24 मार्च, 2011

विषयः– जेएनएनयूआरएम/यूआईडीएसएसएमटी के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था पेयजल निगम द्वारा क्रियान्वियत की जा रही योजनाओं हेतु सेन्टेज चार्जेज की प्रशासकीय, वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रभारी प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून के पत्र संख्या 2736/न0यो0अनु0/नगरीय–सामान्य/ 270 दिनांक 8–12–2010 के माध्यम से जेएनएनयूआरएम/यूआईडीएसएसएमटी के अन्तर्गत देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल एवं मसूरी की पेयजल योजना/सीवरेज योजना हेतु व्यय धनराशि ₹ 10387.90 लाख के सापेक्ष आगणित सेन्टेज ₹ 1298.49 लाख में से प्रशासनिक व्यय ₹ 34.06 लाख तथा शासनादेश संख्याः 525/IV(2)–श0वि0–10–05(सा0)/10 दिनांक 29–3–2010 द्वारा स्वीकृत ₹ 500.00 लाख को घटाते हुए अवशेष सेन्टेज की धनराशि ₹ 764.43 लाख **(₹ सात करोड़ चौसठ लाख तिरतालीस हजार मात्र)** की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1. उक्त धनराशि **₹ 764.43 लाख (₹ सात करोड़ चौसठ लाख तिरतालीस हजार मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर सम्बधित कार्यदायी संस्था प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी और इसे आहरित करके निगम के पी0एल0ए0 खाते में जमा की जायेगी तथा पी0एल0ए0 से वास्तविक आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
2. पेयजल निगम को आगामी सेन्टेज की धनराशि तभी अवमुक्त की जायेगी जब कि उसके द्वारा सभी परियोजनाओं के सम्बन्ध में CPHEEO के अप्राइजल नोट के आधार पुर भू–अधिग्रहण की धनराशि का प्रमाण पुष्ट रूप से उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही जिन योजनाओं हेतु भारत सरकार द्वारा Administrative charges अनुमन्य किया है उनमें Administrative charges की राशि को भी centage charge की देय राशि की गणना के लिए कुल लागत में कम किया जायेगा तथा ऐसे मामलों में सेन्टेज उतना प्रतिशत कम देय होगा जितना प्रतिशत Administrative charges भारत सरकार ने अनुमन्य किया है।

3. पेयजल निगम को उपरोक्त धनराशि यदि किसी अन्य श्रोत से प्राप्त होती है अथवा प्राप्त हुई है, तो पेयजल निगम द्वारा धनराशि को तत्काल राजकोष में जमा कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून का होगा।

4. जिन योजनाओं के लिए उक्त सेन्टेज की धनराशि अवमुक्त की जा रही है, उन योजनाओं की लागत, भू–अर्जन की लागत, शेष लागत तथा उसपर देय सेन्टेज का विवरण अलग–अलग रखा जायेगा और लेखांकन सही प्रकार से रखा जायेगा।

4– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष–2010–11 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–13, लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योज़ना–05–नेशनल अरबन रिनियूअल मिशन–20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता की मद के नामे डाला जायेगा।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0– 796/XXVII(2)/2011, दिनांक– 24 मार्च, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव।

377

सं0 मा0स0– (1)/IV(2)-श0वि0–2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 नगर विकास मंत्री जी।
4. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायू मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
5. सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. जिलाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार/नैनीताल।
8. वित्त अनुभाग–2/निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
10. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून
11. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(निधि मणि त्रिपाठी)
अपर सचिव।

24-305